न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 132/2017 **दायरा दिनांक : 29.08.2017**

उनवान

नोन्दीलाल आत्मज स्व0 चतुर्भुज, आयु 80 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी भंवरलाल, आयु 67 वर्ष, जाति लोधा, निवासी हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— कालूराम आत्मज हीरालाल आयु 42 वर्ष, जाति लोधा, निवासी खेजडा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3— रामबिलास आत्मज हीरालाल आयु 37 वर्ष, जाति लोधा, निवासी खेजडा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सम्पूर्णानन्द राय अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तेजमल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या — 120/2015 निर्णय दिनांक 31.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) पेश कर यह कथन किया कि प्रार्थिया के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडोद की आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1289 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 2040 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है । खसरा नम्बर 2040 पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है । खसरा नम्बर 2035/1 और 2035/2 की मेड पर 14 फुट रास्ते की आवश्यकता है जिसको कायम किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अपने निर्णय दिनांक 31.07.2017 से खसरा नम्बर 537 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा की दक्षिण मेड पर 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने के आदेश दिये हैं, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर दिया था और यह कथन किया था कि अपीलांट के खाते की आराजी पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2015 में भी यही वर्णित है कि खसरा नम्बर 2040 पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 2080 गैर मुमकिन रास्ते से होकर खसरा नम्बर 2044 एवं 2038 की मेड और 2039 की दक्षित मेड पर से होकर रास्ता है, जिसे खुलासा करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम फूल बडौद उर्फ फूटी बडौद के खसरा नम्बर 537 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा की दक्षिण मेड पर 12 फुट चौडा रास्ता कायम किया है । पुष्पा देवी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने खसरा नम्बर 2035/2 और 2035/1 की मेड पर रास्ता मांगा था और अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी पूर्वक खसरा नम्बर 537 में रास्ता कायम किया है जबकि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया है । रेस्पोडेंट को रास्ता खुलासा की कार्यवाही धारा 251 के तहत करनी

चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 2035/1 और 2035/2 से रास्ता कायम करने की प्रार्थना की थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी प्रार्थना से परे जाकर खसरा नम्बर 537 में रास्ता कायम किया है जबकि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.08.2015 पर गौर नहीं किया है । धारा 251 के तहत रास्ते के खुलासे की कार्यवाही करनी चाहिए । प्रार्थी ने जो सहायता नहीं मांगी है वह सहायता प्रदान की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रार्थिया के खाते की आराजी तक पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । तहसीलदार की रिपोर्ट स्पष्ट है । रेस्पोडेंट ने नक्शे की प्रति भी पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रास्ता कायम किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74

खाता संख्या 392 सलंग्न है जिसमें पुष्पा देवी के खाते में कुल 3 किता की 1 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है जिन्हें खसरा नम्बर 1282, 1289 और 2040 है । मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 362 में अपीलांट के खाते में खसरा नम्बर 2035/2, खसरा नम्बर 2319/2035, खसरा नम्बर 2320/2035 कुल 3 किता की 9 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज है और नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 के अनुसार अन्य खाता संख्या 239 में जमना बाई के खाते में खसरा नम्बर 2035/1 की आराजी दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 2913 का नोट अंकित जिसके अनुसार जमना के स्थान पर कालू राम, रामबिलास के नाम दर्ज है । नक्शाट्रेस की कोपी भी पत्रावली में सलंग्न है । इसके अलावा पत्रावली पर दिनांक 19.08.2015 की रिपोर्ट की फोटोकापी सलंग्न है जिसमें प्रार्थिया पुष्पाबाई को रास्ता खसरा नम्बर 2080 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते से होकर खसरा नम्बर 2044, खसरा नम्बर 2038 के मध्य की मेड एवं खसरा नम्बर 2039 की पश्चिम की मेड से होकर बताया है । एक अन्य रिपोर्ट तहसीलदार की पत्रावली पर सलंग्न है जिसमें पुष्पादेवी के खाते की आराजी पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया गया है और ग्राम फूल बडौद उर्फ फूटी बडौद की खसरा नम्बर 537 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जो नोन्दीलाल पुत्र चतुर्भुज के खाते में दर्ज है की दक्षिण मेड से 12 फुट चौडा रास्त की मांग करना बताया गया है । अपील में रेस्पोडेंट के अभिभाषक ने नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रति सलंग्न की है । अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय आर बी जे 2017 पेज 1 उद्धरत की ।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट पुष्पादेवी ने धारा 251 (A) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता कायम करने की प्रार्थना की थी । उनके द्वारा यह रास्ता आराजी खसरा नम्बर 2035/1 और 2035/2 में से होकर कायम करने की प्रार्थना की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2017 के आधार पर वादग्रस्त

आराजी वाके ग्राम फूल बडौद उर्फ फूटी बडौद के खसरा नम्बर 537 में से 12 फुट चौडा रास्ता कायम किया है । इस रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी की आराजी पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । इस प्रकार यह रिपोर्ट धारा 251 (A) के प्रावधानों के अनुरूप है । जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि दिनांक 19.08.2015 की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया गया है यह रिपोर्ट हल्का पटवारी और आई एल आर की है और रास्ता कायमी के लिए तहसीलदार ही रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत है । तहसीलदार की रिपोर्ट में रास्ता कायमी के लिए जिस खसरा नम्बर को प्रस्तावित किया गया है उसी में से रास्ता कायम किया गया है और रिपोर्ट धारा 251 (A) के प्रावधानों के अनुरूप है । इन तथ्यों के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा